

11/11/25 - पचावली रीस हुरे, वकील असयपन इस्थित  
पचावली वाले जवाब दि. 16/12/25 को पैरा 10  
पुनः स्व प्रकरण का मूल वाद दि. 11/11/25 को  
निष्पत्ति दिया गया है। प्रा. पत्र पर वह अंतरा  
से नवी की जा सकती; पचावली मूल वाद के  
सेलरों से फैसला सुनने के लिए नैजद ले जाते हैं।

सहायक वकील एव  
उपखण्ड अधिकारी, भूपालनगर

